

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-2/आर-66/2026-

/स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० रवि कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, ताजपुर, समस्तीपुर दिनांक 30.03.2022 से 05.06.2025 तक की अवधि को निम्नरूप में विनियमित किया जाता है:-

(क)	दिनांक 30.03.2022 से 26.04.2025 तक (कुल-1124 दिन)	- अध्ययन हेतु बितायी गयी अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में। (विभागीय अवधिसूचना संख्या-2045(2), दिनांक 30.11.2011 के आलोक में)
(ख)	दिनांक 27.04.2025 से 05.06.2025 तक (कुल-40 दिन)	
i	दिनांक 27.04.2025 को	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236)
ii	दिनांक 28.04.2025 से 05.06.2025 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा के रूप में। (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय में)

2. इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/आर-66/2026-

1740 (3)

पटना, दिनांक 24/7/2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, ताजपुर, समस्तीपुर/कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/डा० रवि कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, ताजपुर, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9ए, 9बी, 17 एव 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव